

13/8/2022 पत्रावली आज वास्ते निर्णय/आदेश राष्ट्रीय लोक अदालत शिविर में पेश हुयी। वकील प्रार्थी व तहसीलदार नीमकाथाना उपस्थित। पत्रावली में बहस पूर्व में सुनी जा चुकी है। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहरान करते हुए कथन किया था कि मुताबिक सीमाज्ञान पत्थरगढ़ी के आदेश पारित किये जावे। तहसीलदार नीमकाथाना ने इस पर कोई एतराज नही किया। बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली पर उपलब्ध प्रार्थना पत्र, राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। जिससे जाहिर है कि वादग्रस्त भूमि मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड खसरा नंबर 1035, 1036, 1037, 1060, 1061, 1063, 1067 कुल किता 7 कुल रकबा 1.83 हैक्टे. प्रार्थी व अन्य सहखातेदारान की संयुक्त खातेदारी भूमि है। अतः प्रार्थी, अन्य सहखातेदार व पड़ौसी खातेदारान को सूचित कर बाद सम्यक संतुष्टि मुताबिक सीमाज्ञान पत्थरगढ़ी किया जाना न्यायोचित है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी बाबत पत्थरगढ़ी स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

(बृजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (सीकर)

प्रा० पत्र० 365 / 2022
निर्णय दिनांक 13.08.2022

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर तहसीलदार नीमकाथाना को आदेशित किया जाता है कि राजस्व ग्राम जीलो पटवार हल्का जीलो तहसील नीमकाथाना स्थित खसरा नंबर 1035, 1036, 1037, 1060, 1061, 1063, 1067 कुल किता 7 कुल रकबा 1.83 हैक्टे. की प्रार्थी, अन्य सहखातेदारान व पड़ौसी खातेदारान को सूचित कर बाद सम्यक संतुष्टि सीमाज्ञान, मुताबिक सीमाज्ञान दिनांक 24.06.2019 पत्थरगढ़ी की जावे। दौराने पत्थरगढ़ी किसी प्रकार का कब्जा दिलवाने अथवा बेदखली की कार्यवाही नहीं की जावें। तहसीलदार नीमकाथाना को इस हेतु तहरीर जारी हो। पत्रावली बाद फैसल शुमार नम्बर से कम होकर दफ्तर दाखिल हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

(बृजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (सीकर)